

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-11/2005-

/कृ०, पटना, दिनांक

2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स बायोस्टाड इण्डिया लि०,  
द्वारा-मेसर्स हरि इण्टरप्राइजेज,  
जयसवाल हाउस, बैंक रोड, पटना-1

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-138 दिनांक 24.07.2007 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इंडोसमेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित तीन स्वनिर्मित कीटनाशियों एवं विभिन्न कम्पनियों के 11 कीटनाशियों का इंडोसमेन्ट अनुज्ञप्ति संख्या-138 दिनांक 24.07.2007 वैद्यता तिथि 31.12.2014 तक में किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	मेसर्स बायोस्टाड इण्डिया लि०	Paraquate Dichloride 24% SL	31-12-2015
2		Buprofezin 25% SC	31-12-2015
3		Glyphosate 41% SL	31-12-2015
4	मेसर्स क्रॉप ग्रोथ इण्डिया प्रा० लि०	Sulphur 80% WDG	31-12-2014
5		Pretilachlor 50% EC	31-12-2014
6		Tricyclazole 75% WP	31-12-2014
7		Triazophos 40% EC	31-12-2014
8		Mancozeb 75 % WP	31-12-2014
9		Fipronil 5% SC	31-12-2014
10		Fipronil .3% GR	31-12-2014
11		Cartap Hydrochloride 4% GR	31-12-2014
12		Thiamethoxam 25% WG	31-12-2014
13		मेसर्स इण्डोफिल इन्डस्ट्रीज लि०	Hexaconazole 4%+Zineb 68% WP
14	मेसर्स बी० ए० एस० एफ० इण्डिया लि०	Imazethapyr 10% SL	31-12-2015

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स बायोस्टाड इण्डिया लि०, ओल्ड फैक्ट्री कम्पाउन्ड मुन्ना चक, कंकड़बाग, पटना-20

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइन्मेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,  
ह0/-  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

5539

/कृ0, पटना, दिनांक ..... 08-12-2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (प्रसार) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।